संख्या– 3922 /62–2–2011–2/3(31)/2011

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अधियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2011

विषयः– नवसृजित जनपदों प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर एवं भीम नगर हेतु लघु सिंचाई विभाग के अस्थाई पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपदों कमशः प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर एवं भीम नगर में लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं के सफल संचालन एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उक्त जनपदों के मूल जनपदों कमशः मुजज्फरनगर, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद के अधिष्ठान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित पदों को उनके सम्मुख इंगित वेतनमान में इस शासनादेश के जारी होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद मे हो, से दिनांक 29.02.2012 तक, बशर्ते कि इन्हें बिना नोटिस दिये हुए पहले ही समाप्त न कर दिया जाय अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति महामहिम राज्यपाल प्रदान करते हैः–––

क0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	सदृश्य ग्रे0पे0	पद की संख्या	तीनों जनपदों के लिए कुल पदों की संख्या
1	2	3	4	5	
1–	अधिशासी अभियंता	वेतन बैण्ड–3 (15600–39100)	6600	01	03
2–	खण्डीय लेखाधिकारी	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान	01	03
3–	अवर अभियंता	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800)	4200	01	03
4–	ज्येष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200)	2800	01	03

5–	लेखा लिपिक	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200)	2400	01	03
6–	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200)	2400	01	03
7–	कनिष्ठ सहायक/ टंकक	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200)	1900	02	06
			योग	08	24

2– उक्त नवसृजित जनपदों में कार्यालयों की स्थापना हो जाने के पश्चात् उपरोक्त पद नवसृजित जनपदों के अधिष्ठान में स्थानान्तरित/सृजित माने जायेंगे। तब तक उनका व्यय मूल जनपद के आय–व्ययक/अधिष्ठान से किया जायेगा।

3– उपरोक्त पदधारकों को वेतनमान, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य हो, देय होंगे।

4– उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2702–लघु सिंचाई–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर–03–लघु सिंचाई योजना के सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार नवसृजित पद संबंधित सेवा संवर्ग में अस्थाई वृद्धि माने जायेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग की उनके अ0शा0सं0–902ई–2–/दस–2011, दिनांक 14, दिसम्बर,2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 3922 (1)/62–2–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– संबंधित मण्डलायुक्त।
3– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– संबंधित जिलाधिकारी।
5– संबंधित कोषाधिकारी।

6— संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई प्रखण्ड।
7— संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचांई।
8— वित्त वेतन आयोग—1/2
9— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—2
10— राजस्व अनुभाग—5, उ0 प्र0 शासन।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।